"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 2] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 8 जनवरी 2016—पौष 18, शक 1937

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, महेश कुमार चौरसिया पिता श्री आर. आर. चौरसिया, उम्र 55 वर्ष, निवासी-क्वाटर नं. 14/बी, सड़क नं. 11, सेक्टर 1, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूं. यह कि मेरे पुत्र वर्तमान में शिक्षा हेतु अध्ययनरत हैं, जिसके शासकीय दस्तावेजों में उसका नाम अंचल कुमार पिता महेश कुमार चौरसिया दर्ज है. मैं अपने पुत्र का नाम परिवर्तित कर नया नाम काव्यांश चौरसिया रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अतः अब मेरे पुत्र को काव्यांश चौरसिया पिता श्री महेश कुमार चौरसिया के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

अंचल कुमार (Anchal Kumar)
पिता श्री महेश कुमार चौरसिया
निवासी-क्वाटर नं. 14/बी, सड़क नं. 11,
सेक्टर 1, भिलाई,
तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)

नया नाम

काव्यांश चौरसिया (Kavyansh Choursia)
पिता श्री महेश कुमार चौरसिया
निवासी-क्वाटर नं. 14/बी, सड़क नं. 11,
सेक्टर 1, भिलाई,
तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती रमा सूर्यवंशी पति श्री छन्नु लाल सूर्यवंशी, आयु 31 वर्ष, निवासी-ग्राम जुनवानी, पो. स्मृति नगर, वार्ड नं. 1, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) की हूं. यह कि मेरे सर्विस रिकार्ड एवं समस्त शैक्षणिक दस्तावेज, आधार कार्ड, पेन कार्ड, परिचय पत्र, ड्रायविंग लायसेंस व अन्य शासकीय, अशासकीय दस्तावेज में मेरा नाम दम्मु रामुलू डी. सुब्बैय्या दर्ज है. मेरा विवाह दिनांक 25-3-2015 को छन्नु लाल सूर्यवंशी पिता स्व. गैंदलाल सूर्यवंशी के साथ सम्पन्न हुआ. विवाह पश्चात् मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम श्रीमती रमा सूर्यवंशी रख ली हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अतः अब मुझे श्रीमती रमा सूर्यवंशी पति श्री छन्नु लाल सूर्यवंशी के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

दम्मु रामुलू
पिता डी. सुब्बैय्या
निवासी- क्वा. नं. 28/ए, सड़क नं. एवन्यू ए,
सेक्टर 7, भिलाई
तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)

नया नाम

श्रीमती रमा सूर्यवंशी
पति श्री छन्नु लाल सूर्यवंशी
निवासी-ग्राम जुनवानी, पो. स्मृति नगर,
वार्ड नं. 1, भिलाई
तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, Mary Stella Bara पति John Bara, उम्र 58 वर्ष, निवासी म. नं. 42-ए, सड़क एवेन्यू-सी, सेक्टर 1, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) की हूं. यह कि मेरे प्रमाण पत्रों व अन्य दस्तावेजों में मेरा नाम Mary Stella Bara दर्ज है तथा कुछ स्थानों में मेरा नाम Mari Stella Bara दर्ज है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम Mary Stella Bara रख ली हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अतः अब मुझे Mary Stella Bara W/o John Bara के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

Mari Stella Bara
W/o John Bara
R/o - Qr. No. 42-A, Street Avenue-C,
Sector 1, Bhilai
Tah. & Distt. Durg (C. G.)

नया नाम

Mary Stella Bara
W/o John Bara
R/o - Qr. No. 42-A, Street Avenue-C,
Sector 1, Bhilai
Tah. & Distt. Durg (C. G.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, पुष्पेन्द्र कुमार गुप्ता, पिता श्री वीरेन्द्र कुमार गुप्ता, उम्र 24 वर्ष, निवासी-मुड़ापार कोरबा, तहसील व जिला कोरबा (छ. ग.) का हूं. यह कि मेरा वास्तविक नाम पुष्पेन्द्र कुमार गुप्ता है जो कि मेरे समस्त दस्तावेजों में दर्ज है. मेरा घरेलू नाम रवि कुमार गुप्ता है तथा इसी नाम से फर्म "रवि स्वीट्स एण्ड डेयरी" का पंजीयन किया गया है. जिन-जिन दस्तावेजों में रवि कुमार गुप्ता दर्ज हो गया है वह गलत है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम पुष्पेन्द्र कुमार गुप्ता रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अतः अब मुझे पुष्पेन्द्र कुमार गुप्ता पिता श्री वीरेन्द्र कुमार गुप्ता के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	**नया नाम**
रवि कुमार गुप्ता पिता श्री वीरेन्द्र कुमार गुप्ता निवासी-मुड़ापार कोरबा तहसील व जिला कोरबा (छ. ग.)	पुष्पेन्द्र कुमार गुप्ता पिता श्री वीरेन्द्र कुमार गुप्ता निवासी-मुड़ापार कोरबा तहसील व जिला कोरबा (छ. ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, लवलेश कुमार यादव आत्मज श्री मुकुन्द राम यादव, उम्र 44 वर्ष, जाति राउत, निवासी-ग्राम घुघसीडीह, पोष्ट खोपली, थाना उतई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूं. यह कि मेरी पुत्री की जन्मतिथि 22-6-1999 है जो कक्षा 12वीं की छात्रा है. मेरी पुत्री का नाम कु. इन्द्राणी यादव आ. लवलेश कुमार यादव के नाम से जानी पहचानी जाती है तथा समस्त शासकीय, अर्धशासकीय एवं अन्य अभिलेखों में कु. इन्द्राणी यादव जाति राउत दर्ज है तथा कुछ स्थानों पर मेरी पुत्री का नाम त्रुटिवश कु. इन्द्राणी रावत, कु. इन्द्राणी ठेठवार दर्ज हो गया है जो गलत है. मैं अपनी पुत्री का नाम परिवर्तित कर नया नाम कु. इन्द्राणी यादव रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अतः अब मेरी पुत्री को कु. इन्द्राणी यादव पिता श्री लवलेश कुमार यादव के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	**नया नाम**
कुमारी इन्द्राणी रावत (ठेठवार) पिता श्री लवलेश कुमार यादव निवासी-ग्राम घुघसीडीह, पोष्ट खोपली, थाना उतई, तह. व जिला दुर्ग (छ. ग.)	कुमारी इन्द्राणी यादव पिता श्री लवलेश कुमार यादव निवासी-ग्राम घुघसीडीह, पोष्ट खोपली, थाना उतई, तह. व जिला दुर्ग (छ. ग.)

विविध

अन्य सूचनाएं

कार्यालय उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला महासमुन्द (छ. ग.)

महासमुन्द, दिनांक 22 दिसम्बर 2015

क्रमांक/उपपंम/पंजीयन/2015/1228.—श्रीमती उर्मिला साहू W/o श्री नेमीचंद साहू, मां शारदा महिला प्राथ. स्वायत्त सहकारी समिति मर्या. महासमुन्द, पं. क्र. 12 वार्ड नं. 10 गंजपारा, महासमुन्द जिला महासमुन्द (छ. ग.). लेख है कि स्वायत्त सहकारिता (निरसन) अधिनियम 2014 जारी होने कारण छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 के तहत परिवर्तित होकर नियम 1962 के तहत विनियमित बाबत पंजीयक महोदय द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक 3522 दिनांक 17-07-2014 की छायाप्रति प्रेषित कर पृष्ठ 02 की कंडिका 01 (a से h) के बिन्दुओं में कार्यवाही अविलम्ब पूर्ण कर इस कार्यालय में प्रस्तुत करने हेतु लेख किया गया था. परंतु आपके द्वारा उपरोक्त वैधानिक कंडिका 01 के अनुसार दस्तावेज प्रस्तुत नहीं की गई है.

अतः मैं एस. एम. दीवान सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएँ महासमुन्द एतद्द्वारा मां शारदा महिला प्राथ. स्वायत्त सहकारी समिति मर्या. महासमुन्द, पं. क्र. 12 का अस्तित्व निगम निकाय के रूप में इस आदेश के जारी दिनांक 22-12-2015 से समाप्त करता हूँ. भविष्य में स्वायत्त सहकारी समिति के रूप में उक्त संस्था द्वारा यदि कोई कार्य किया जाता है, तो वह अवैधानिक माना जावेगा.

महासमुन्द, दिनांक 22 दिसम्बर 2015

क्रमांक/उपपंम/पंजीयन/2015/1228.—श्रीमती निर्मला चन्द्राकर W/o श्री विनोद चन्द्राकर, श्री बालाजी महिला स्वायत्त सहकारी समिति मर्या. कोना पं. क्र. 18 ग्रा. कोना, पो. खट्टी वि. ख. व जिला महासमुन्द (छ. ग.) लेख है कि स्वायत्त सहकारिता (निरसन) अधिनियम 2014 जारी होने कारण छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 के तहत परिवर्तित होकर नियम 1962 के तहत विनियमित बाबत पंजीयक महोदय द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक 3522 दिनांक 17-07-2014 की छायाप्रति प्रेषित कर पृष्ठ 02 की कंडिका 01 (a से h) के बिन्दुओं में कार्यवाही अविलम्ब पूर्ण कर इस कार्यालय में प्रस्तुत करने हेतु लेख किया गया था. परंतु आपके द्वारा उपरोक्त वैधानिक कंडिका 01 के अनुसार दस्तावेज प्रस्तुत नहीं की गई है.

अतः मैं एस. एम. दीवान सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएँ महासमुन्द एतद्द्वारा श्री बालाजी महिला स्वायत्त सहकारी समिति मर्या. कोना पं. क्र. 18 का अस्तित्व निगम निकाय के रूप में इस आदेश के जारी दिनांक 22-12-2015 से समाप्त करता हूँ. भविष्य में स्वायत्त सहकारी समिति के रूप में उक्त संस्था द्वारा यदि कोई कार्य किया जाता है, तो वह अवैधानिक माना जावेगा.

महासमुन्द, दिनांक 22 दिसम्बर 2015

क्रमांक/उपपंम/पंजीयन/2015/1228.—श्रीमती चन्दर बाई W/o श्री सेवकराम, महिला विकास प्राथ. स्वायत्त सहकारी समिति मर्या. कुकराडीह पं. क्र. 09 ग्रा. पो. कुकराडीह वि. ख. व जिला महासमुन्द (छ. ग.) लेख है कि स्वायत्त सहकारिता (निरसन) अधिनियम 2014 जारी होने कारण छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 के तहत परिवर्तित होकर नियम 1962 के तहत विनियमित बाबत पंजीयक महोदय द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक 3522 दिनांक 17-07-2014 की छायाप्रति प्रेषित कर पृष्ठ 02 की कंडिका 01 (a से h) के बिन्दुओं में कार्यवाही अविलम्ब पूर्ण कर इस कार्यालय में प्रस्तुत करने हेतु लेख किया गया था. परंतु आपके द्वारा उपरोक्त वैधानिक कंडिका 01 के अनुसार दस्तावेज प्रस्तुत नहीं की गई है.

अतः मैं एस. एम. दीवान सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएँ महासमुन्द एतद्द्वारा महिला विकास प्राथ. स्वायत्त सहकारी समिति मर्या. कुकराडीह पं. क्र. 09 का अस्तित्व निगम निकाय के रूप में इस आदेश के जारी दिनांक 22-12-2015 से समाप्त करता हूँ. भविष्य में स्वायत्त सहकारी समिति के रूप में उक्त संस्था द्वारा यदि कोई कार्य किया जाता है, तो वह अवैधानिक माना जावेगा.

एस. एम. दीवान,
सहायक पंजीयक.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2016.